नियम व शर्तें:

ऑफ़र 1

''बायबैक गारंटी''

बायबैक गारंटी सभी सिंगल कैब बोलेरो पिक–अप तथा बोलेरो मैक्सीट्रक प्लस (वाहनो) के लिए लागू है. यह ऑफ़र कैम्पर रेंज के वाहनों और इम्पीरियो पर लागू नहीं है.

रु. 4 लाख की न्यूनतम गारंटी बोलेरो पिक–अप के सिर्फ़ फ्लैट–बेड पावर स्टेयरिंग वैरिएंट्स पर ही लागू है.

डीलरशिप से गारंटी ऑफर या नकद छूट/एक्सचेंज/लॉयल्टी बोनस में से कोई एक का लाभ उठा सकते हैं और इनको क्लब नहीं कर सकते हैं.

वाहन के अलग–अलग वैरिएंट्स के अनुसार बायबैक राशि भिन्न होगी–बोलेरो पिक–अप एफबी पीएस वैरिएंट के लिए 4 साल बाद सर्वोच्च राशि 4 लाख है. अन्य लागू वैरिएंट्स पर बायबैक गारंटी 4 साल बाद निम्नांकित तालिका में है:

क्र.सं.
महिंद्रा पिकअप वैरिएंट नाम
खरीद तिथि से 4 साल बाद गारंटीड बायबैक

1. बोलेरो पिक अप एफबी पॉवर स्टीयरिंग बीएस4 रिफ्रेश, बोलेरो पिक अप सीएनजी

2. बोलेरो पिक अप एफबी 1.5 टन–पीएस

3. बोलेरो पिक अप एफबी 1.25 टन– बीएस4–पीएस

4. बोलेरो पिक अप एफबी बीएस4 रिफ्रेश (एमएस), नॉन–फ्लैट, बेड, सीबीसी वैरिएंट्स

5. बोलेरो मैक्सीट्रक प्लस (सभी वैरिएंट्स)

रु. 4,00,000/-
रु. 3,75,000/-
रु. 3,00,000/-

बायबैक गारंटी के लिए योग्यता मापदंड व शर्तें:

1. बायबैक गारंटी 4 साल के लिए या 1.5 लाख किमी रनिंग, जो भी गाड़ी के खरीद की तिथि से पहले हो, के लिए लागू है.

2. बायबैक गारंटी उसी दशा में लागू है जब ग्राहक अपने इस पिक–अप की एक्सचेंज में नया महिंद्रा पिक अप खरीदता है.

3. बायबैक गारंटी तब ही लागू है, जब–

अ. सब सर्विसें और मैंटेनेन्स जॉब 4 वर्ष /1.5 लाख किमी (जो भी पहले आए) की अवधि के लिए ऑनर्स मैनुअल में वर्णित निर्धारित अंतराल के अनुसार महिंद्रा अधिकृत वर्कशॉप्स में कराए हो.

ब. सर्विस स्टेशन से बाहर एमर्जेन्सी मैंटेनेन्स की दशा में बाहर मरम्मत कराने पर 4 वर्ष के स्वामित्व/ 1.5 लाख किमी में महिंद्रा जेन्युइन स्पेअर पार्ट्स ही प्रयोग किए गए हो.

क. 4 वर्ष या 1.5 लाख किमी के लिए सुझाए गए सामयिक मैंटेनेन्स का ऑनर समय पर पालन करे.

ड. वाहन का वैध बीमा और फिटनेस प्रमाण पत्र हो

4. बायबैक गारंटी लागू नहीं होगी:

अ. दुर्घटनाग्रस्त वाहन की दशा में (वाहन की उस क्षति को दुर्घटना माना जाएगा, जिसमें मरम्मत/बदली के लिए रु.50,000/– से अधिक खर्च हो) और किसी अन्य दुर्घटना कार्य के लिए मरम्मत किसी एम एंड एम अधिकृत सर्विस सेंटर से ही कराया होना चाहिए.

ब. वित्तीय रूप से बंधक रखे (हायपोथेकेटेड) वाहन.

क. वाहन में कोई बदलाव होने की दशा में.

5. बाय बैक का लाभ लेने, ग्राहक को इस स्कीम की एवज़ में अपना पुराना वाहन एक्सचेंज करने के लिए सभी ओरिजिनल दस्तावेज़ों (बीमा, आरसी, परमिट आदि) और बैंक से नो ड्यु प्रमाण–पत्र, वाहन ट्रांस्फर पेपर एवं एनओसी के साथ अपना पुराना वाहन लौटाना होगा.

6. नए वाहन की खरीद हेतु बाय बैक के दौरान कोई भी अन्य ऑफ़र (नकद छूट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी आदि) लागू नहीं होगा.

7. खरीद तिथि से 48 माह बाद आने वाले ग्राहक को एक्सचेंज की प्रचलित मार्केट रेट के अनुसार बाय बैक प्रदान किया जाएगा.

8. दिया गया बाय बैक ऑफ़र खरीद तिथि से अधिकतम 50 माह तक लागू है, इसके बाद बायबैक ऑफर मान्य नहीं.

9. इस स्कीम के तहत ग्राहक केवल महिंद्रा शोरूम पर ही 4 लाख का बाय बैक पाएगा, जो खरीदे गए नए महिंद्रा पिकअप के सामने छूट के रूप में होगा.

10. वेलिडिटी अवधि के दौरान अगर यह वाहन किसी अन्य व्यक्ति को बेच देने पर यह ऑफ़र लागू नहीं होगा.

11. ऑनर्स वाहन के बाय–बैक का मूल्य डीलर के पूर्ण विवेकाधीन तय होगा. उस ऑफर को स्वीकार या अस्वीकार करने को ऑनर/ग्राहक स्वतंत्र है. यदि ऑनर/ग्राहक ऑफ़र को अस्वीकार करे तो सम्पूर्ण ऑफ़र अप्रभावी और शून्य होगा तथा वह इस ऑफ़र के तहत कोई लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगा.

ऑफ़र 2

2 वर्ष तक फ्री मेंटेनेन्स

1. ''2 वर्ष का फ्री मेंटेनेन्स'' उपरोक्त बाय-बैक ऑफ़र के साथ जुड़ा हुआ है और इसका अलग से लाभ नहीं लिया जा सकता.

2. ''2 वर्ष की फ्री मेंटेनेन्स गारंटी'' केवल ऑनर्स मैनुअल के अनुसार सामयिक मेंटेनेन्स पर ही है. वॉरंटी में कवर नहीं किए गए या दुर्घटना से उत्पन्न अनिर्धारित मेंटेनेन्स से संबंधित सभी व्यय ग्राहक को वहन करने होंगे, और यह ''2 वर्ष की फ्री मेंटेनेन्स गारंटी'' का भाग नहीं हैं.

3. ग्राहक को रिडीम्पशन के 10 कूपन दिए जाएंगे, जिसमें इस ऑफ़र के अंतर्गत सभी फ्री सर्विसों का विवरण होगा. फ्री सर्विस का दावा करते समय वर्णित सर्विस अंतराल के अनुसार इन कूपन को पेश करना होगा.

4. ''2 वर्ष का फ्री मेंटेनेन्स'' कूपन केवल महिंद्रा की अधिकृत कार्यशालाओं और पूर्ण श्रेणी महिंद्रा मित्रा टेकनिशंस पर स्वीकार किए जाते है.

5. इस ऑफ़र में निम्नांकित कंजूमेबल्स की लागत के साथ लेबर चार्जेस शामिल हैं:

अ. इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ट्रांसमिशन ऑयल, एयर फिल्टर, फ्युल फिल्टर, कूलैंट, डिफरेंशियल ऑयल, ब्रैक फ्लूड.

ब. अन्य स्पेअर पार्टस उपयोग के साथ-साथ लेबर चार्जेस लिया जाएगा, जो कि प्रचलित रेट कार्ड अनुसार होंगे.

''नियम और शर्तों'' के अनुसार अन्य सभी शर्तें महिंद्रा- डब्ल्यूवाईएच स्पेशल एएमसी स्कीम लागू होगी.

2 वर्ष के लिए फ्री मेंटेनेन्स में शामिल सर्विस विवरण:

पार्ट विवरण

इंजन ऑयल

ट्रांसमिशन ऑयल

रियर डिफरेंशियल ऑयल

कूलैंट

ग्रीज़ (व्हील बेयरिंग)

ऑयल फिल्टर

फ्यूल फिल्टर

एयर फिल्टर

वाशर इंजन ड्रैन प्लग

बेल्ट ऑल्टरनेटर

बेल्ट पॉवर स्टीयरिंग*

लेबर

टिप्पणी: बोलेरो मैक्सिट्रक प्लस में *बेल्ट पावर स्टीयरिंग को 50000 किमी नहीं बल्कि सीधे 80000 किमी पर बदला जाएगा.

ऑफ़र 3 ''2 घंटे की सर्विस गारंटी''

1. 2 घंटे में सर्विस गारंटी केवल ऑनर्स मैनुअल के अनुसार सिर्फ़ सामयिक मेंटेनेन्स है जिसमें टैपेट सेटिंग और हब ग्रीसिंग मामले शामिल नहीं हैं. पीएमएस में कवर नहीं हैं ऐसे अनिर्धारित मेंटेनेन्स से संबंधित या दुर्घटना से संबंधित कोई भी मरम्मत/निदान 2 घंटे के सर्विस गारंटी में कवर नहीं होंगे.

2. 2 घंटे में सर्विस गारंटी के समय की गिनती जॉब कार्ड बनाने से लेकर जॉब-कार्ड बंद करने तक होगी.

3. 2 घंटे में सर्विस गारंटी केवल अधिकृत डीलर वर्कशॉप पर ही स्वीकार होगी. एमएमएस और महिंद्रा मित्रा टेकनिशंस पर यह लागू नहीं होगी.

4. दो घंटे से अधिक वक्त के लिए लंबित किसी भी वाहन के लिए केवल रु.750 के साथ लौटाए जाएंगे.

5. सभी ग्राहकों को बराबर महत्व देने के लिए संबंधित डीलर के कमिटमेंट के अनुसार कार्य करने का समय शुरु होगा.

6. इस प्रोग्राम में किसी भी तरह के वाहनो के पिकअप तथा ड्रॉप शामिल नहीं है.

7. वाहन की सुपुर्दगी और डीलीवरी वाहन के वास्तविक मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही की जाए.

8. जहां वाहन पेश किया गया हैं वहां के अधिकृत डीलर वर्कशॉप के स्थानीय स्तर के नियम व शर्तें लागू होंगी.

9. 2 घंटे में सर्विस गारंटी का दायित्व केवल उसी वर्कशॉप को लागू होगा जहां वाहन प्रस्तुत किया गया है.

10. डीलर वर्कशॉप के नियंत्रण से परे या अन्य दैवीय आपदा के कारणो से विलंब को इस स्कीम में शामिल नहीं किया जाएगा.

11. अधिकृत डीलर वर्कशॉप का दायित्व वादा पूरा न करने की दशा में रु.750/- तक ही सीमित है.

12. यह गारंटी केवल खरीद की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए वैध है.

यह नियम व शर्तें और ऑफ़र केवल भारतीय कानून द्वारा शासित होंगे. उनके या ऑफ़र के सम्बंधी कोई दावा, विवाद या कानूनी दावा होने पर वह पूर्णत: केवल मुंबई के न्यायालयों के न्याधिकार क्षेत्र के अधीन होगा.